रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 683] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2018/फाल्गुन 3, 1939
No. 683] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2018/PHALGUNA 3, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2018

का. आ. 775.(अ):—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के चतरा जिले में $23^{0}56'$ से $24^{0}13'$ उत्तरी अक्षांश और $84^{0}31'$ से $84^{0}50'$ पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह अभयारण्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की धारा 18 के अंतर्गत बिहार सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 49/78/33-एफ, दिनांक 15 जुलाई, 1978 के द्वारा अधिसूचित किया गया था। यह आरक्षित वनों के 211.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

और, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य छोटानागपुर पठार (एसडी) के जैव-भौगोलिक क्षेत्र के दक्कन पठार में स्थित है। इस पर्यावास में तेंदुआ, लोमड़ी, चीतल, बनैला सूअर, रीछ, सियार, साही, लकडबग्घा, खरगोश, साल आदि यह अभयारण्य पलामू एवं चतरा के हाथियों के आवागमन के लिए जाना जाता है। यहाँ अक्सर दिखाई देने वाली महत्त्वपूर्ण पक्षी प्रजातियाँ हैं-सरपेंट गरूड, पैराडाइस फ्लाई

कैचर, कौडिल्ला, बी ईटर, सूइफ्ट, विभिन्न प्रकार के बब्लर्स, ब्लैक ड्रोनो, कठफोडवा, लैपविंग, मटरमुर्गा, बगुला, गौरिया इत्यादि। इस अभयारण्य के वन पलामू, लावालौंग और हजारीबाग के वनों से हाथियों के आवाजाही के लिए गलियारे के रूप में कार्य करते है।

और, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य अमनत, चको और नीलंजन नदी प्रणालियों के जलग्रह क्षेत्र स्थित हैं। दुधमातिया नाला, मंगरदाधा नाला, सुकनी नाला, सोनाही नाला आदि महत्वपूर्ण बारहमासी और मौसमी नाले हैं। इस संरक्षित क्षेत्र के बरसातीपानी रूकता है जों भूजल को रिचार्ज करने में सहायक है। इस संरक्षित क्षेत्र के वनों के कारण न्यूनतम मृदा अपरदन होने से नदियों और झीलों में गाद का जमाव नहीं होता इस संरक्षित क्षेत्र में चैम्पियन एवं सेठ के वर्गीकरण के अनुसार विविध प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे कि- 5बी/सी1 उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रायद्वीप साल वन, 5बी/सी2 उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, 5/डी.एस. शुष्क पर्णपाती झाड़ी वन, (5/ई2) बोसवेलिया वन और शुष्क बांस ब्रेक यह स्तनधारियों की 11, पक्षियों की 35 से अधिक और सरीसृपों की 19 प्रजातियों की बहुत बड़ी आबादी का उत्कृष्ट पर्यावास है।

और, इन संरक्षित क्षेत्रों को सबसे बड़ा खतरा में बढ़ती आबादी, कम शैक्षिक स्तर और व्यावसायिक क्रियाकलापों से है जो वन्यजीवों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि से हानिकारक हैं अनियमित क्रियाकलापों, जैसे कि खनन, खदान और उद्योगों से न केवल पारिस्थितिकी पर प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है नजदीकी वनों का भी क्षरण होता है, और इस प्रकार इनसे वन्यजीव पर्यावासों पर भी असर पड़ता है। क्वार्टजाइट, फेल्डस्पार, ग्रेनाइट, शिस्ट आदि जैसी चट्टानों की उपस्थिति से खनन का दबाव बढ़ जाता है।

और, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड राज्य में चतरा जिले में लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

(1) **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**--(1) लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 1.80 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 570.19 वर्ग किलोमीटर है।

(2) लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ **उपाबंध II क-ख** के रूप में संलग्न है। लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध III** की सारणी **क एवं ख** में दिए गए है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागवानी;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पारिस्थितिकी पर्यटन सहित पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका और शहरी विकास;

(x) पंचायती राज और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा–लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा-उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गो के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरूद्धार की योजना शामिल की जाएगी।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजार्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्टो की स्थापना अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा-संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण–** झारखंड राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण**-- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा-संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:—**(i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले या बढ़ावा दिए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टिप्पणी**
(1)	**(2)**	**(3)**
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योगों सहित उद्योगों की स्थापना।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	नई आरा मिलों और काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजांर्टो की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप। (ख) परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ग) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

14.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
15.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
17.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
18.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौंजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
20.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
22.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट/ जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप		
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 (1) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

1.	आयुक्त, उत्तर छोटानागपुर संभाग, हजारीबाग	अध्यक्ष;
2.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य;
3.	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य;
4.	वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य;
5.	राज्य सरकार द्वारा नामित एक जैवविविधता विशेषज्ञ	सदस्य;
6.	राज्य सरकार द्वारा नामित एक पारिस्थितिकी और पर्यावरण विशेषज्ञ	सदस्य;
7.	लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य के प्रभारी विभागीय वन अधिकारी	सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों सहित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत आने वाले उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय

की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 सं.का.आ 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 तथा इनमें किए गए परिवर्ती संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। केवल श्वेत श्रेणी के उद्योगों को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "उद्योगों के वर्गीकरण, 2016" के लिए जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट माना जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल–विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा करके उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/68/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर:- पोटाम्दोहर का उत्तर और उत्तरी-पश्चिम भाग, मेघरानीया और खापिया उत्तरी-पश्चिम भाग, मादरपुर, कसीलाउगा, बेसरा, अमाउना, बरवा (बरमा) कमल, दांरू, बंदीअदीह और कोरहांस का उत्तरी भाग और कोरहंस और लुतु राजस्व ग्रामों का उत्तरी-पूर्व भाग।

पूर्व:- नवादीह, कदले, बंदारू, रेजहदीह (अकोना), बरवादीह, अंगरा (कंदरा) चंदनपुर, शिवराजपुर, बंचातरा, चांदादीह, लचाहर और गोथइ का पूर्वी भाग और हाफुआ और तुंदग राजस्व ग्रामों का दक्षिणी और पूर्वी भाग।

दक्षिण:- कुरूमदारी, बलुभांग, सीरीसामादा और चादुहाउस का दक्षिणी भाग, खाइरातंर का दक्षिणी-पूर्व भाग और कातांग, हेरहानज और लचाक राजस्व ग्रामों का दक्षिणी भाग।

पश्चिम:- दुमरखर का पश्चिमी भाग, मूतनग का दक्षिणी-पश्चिम भाग, रानादह का पश्चिम भाग इसके बाद यह पंकी नदी को पार करके जसपुर, गोरीहारा, खांखार, बरोदीरी, कोरवातंर, बरकादाहा, गरहगांव, अमबाबर, लुकुवा, बीहारीखाप, और पगारकालान के पश्चिमी भाग में आती है। पगर, तीलरा, सेरम, बीदरा, नवदीहा, तुंउदग, दुरगी, हींदीदी और बांदरहातोली राजस्व ग्रामों का पश्चिमी और उत्तरी-पश्चिमी भाग।

उपाबंध- IIक

टी ओ आई में मुख्य स्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

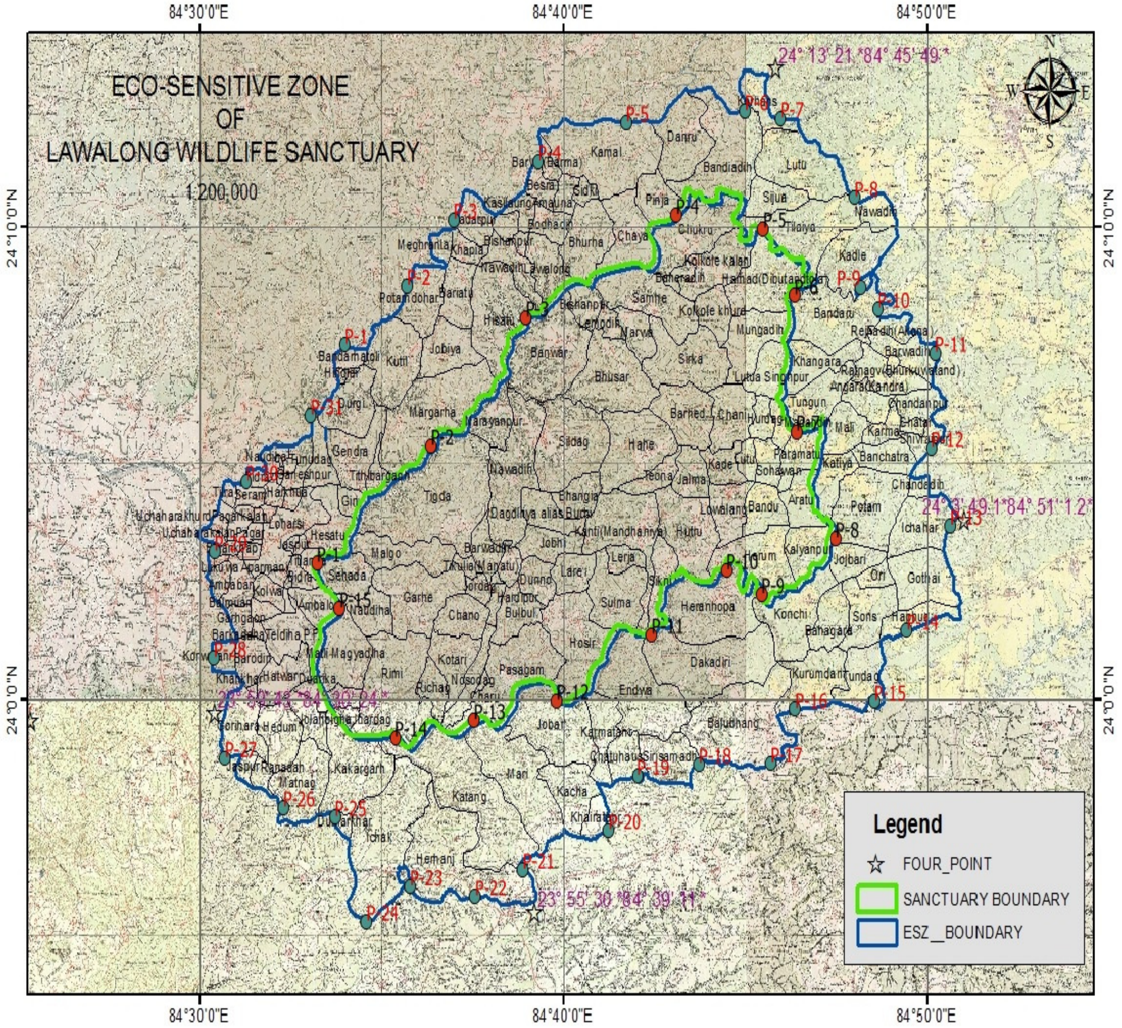

उपाबंध- IIख

मुख्य स्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

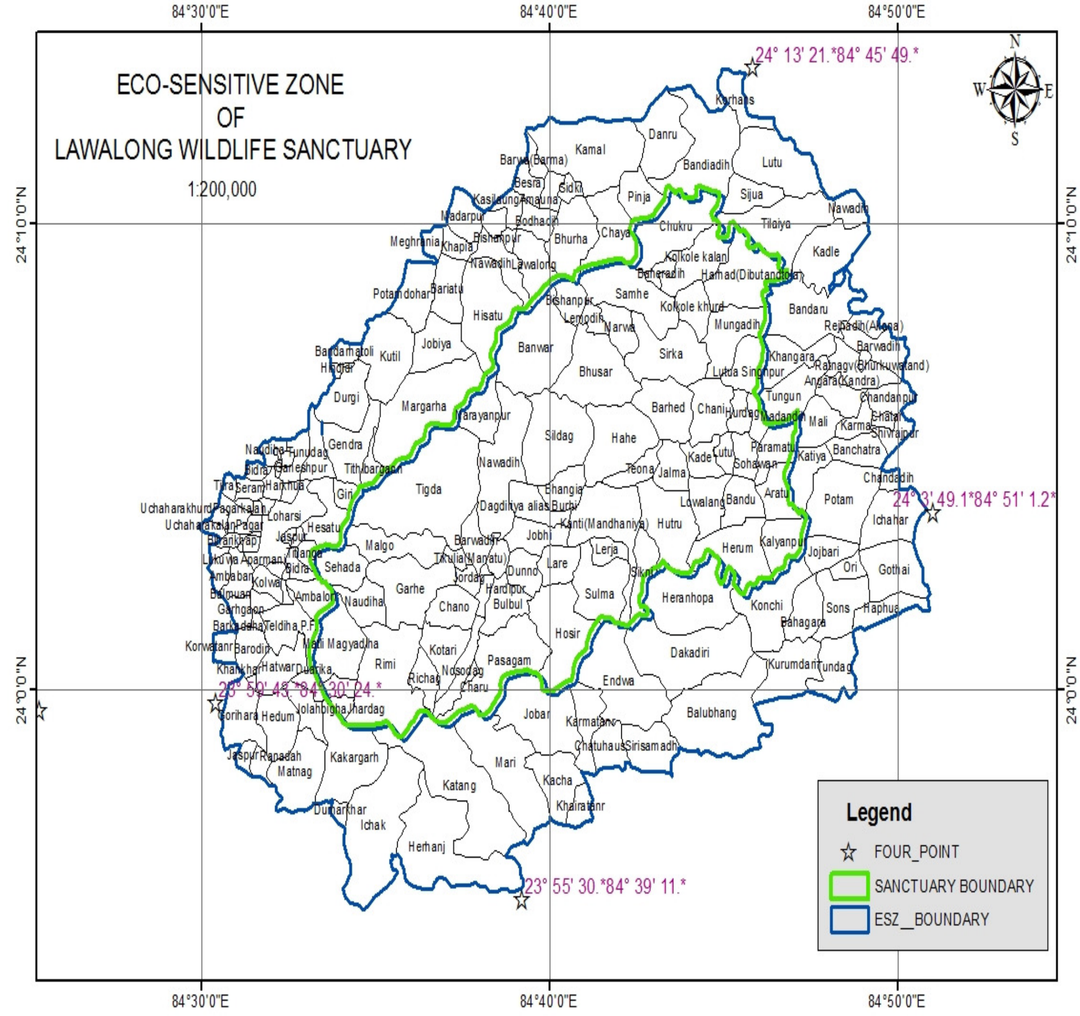

उपाबंध-III

सारणी क: लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड के मुख्य स्थानों के अक्षांश-देशांतर

बिंदु	अक्षांश (पू)	देशांतर (उ)
पी-1	84°33'12"	24°2'53"
पी-2	84°36'20"	24°5'22"
पी-3	84°38'57"	24°8'5"
पी-4	84°43'5"	24°10'15"
पी-5	84°45'29"	24°9'58"
पी-6	84°46'21"	24°8'33"
पी-7	84°46'24"	24°5'40"
पी-8	84°47'29"	24°3'24"
पी-9	84°45'26"	24°2'13"

पी-10	84°44'28"	24°2'44"
पी-11	84°42'25"	24°1'22"
पी-12	84°39'48"	23°59'58"
पी-13	84°37'31"	23°59'33"
पी-14	84°35'21"	23°59'11"
पी-15	84°33'49"	23°1'55"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य स्थानों के अक्षांश-देशांतर

बिंदु	अक्षांश (पू)	देशांतर (उ)
पी-1	84°33'58"	24°7'30"
पी-2	84°35'41"	24°8'45"
पी-3	84°36'58"	24°10'9"
पी-4	84°39'17"	24°11'23"
पी-5	84°41'42"	24°12'13"
पी-6	84°44'59"	24°12'27"
पी-7	84°45'58"	24°12'18"
पी-8	84°47'60"	24°10'37"
पी-9	84°48'10"	24°8'44"
पी-10	84°48'38"	24°8'16"
पी-11	84°50'13"	24°7'20"
पी-12	84°50'7"	23°5'19"
पी-13	84°50'38"	23°3'40"
पी-14	84°39'26"	23°1'27"
पी-15	84°48'32"	23°59'57"
पी-16	84°46'22"	23°59'47"
पी-17	84°45'41"	23°58'38"
पी-18	84°43'43"	23°58'37"
पी-19	84°42'1"	23°58'22"
पी-20	84°41'14’`	23°57'13"
पी-21	84°38'52"	23°56'23"
पी-22	84°37'33"	23°55'49"
पी-23	84°35'46"	23°56'2"
पी-24	84°34'34"	23°55'17"
पी-25	84°33'41"	23°57'30"
पी-26	84°32'16"	23°57'42"

पी-27	84º30'40"	23º58'45"
पी-28	84º30'22"	23º0'52"
पी-29	84º30'23"	23º3'7"
पी-30	84º31'15"	23º4'36"
पी-31	84º33'2"	23º5'60"

उपाबंध-IV

लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	**ग्रामों का नाम**	**प्रशासन खंड**	**हाउस होल्ड**	**जीपीएस निर्देशांक**
1	2	3	4	13
1	लुतु	चतरा	179	24.1884 उ, 84.7748 पू
2	नवादीह	चतरा	184	24.1716 उ, 84.8107 पू
3	सीजुया	चतरा	22	24.1767 उ, 84.7622 पू
4	तीलाइया	चतरा	89	24.1662 उ, 84.7775 पू
5	कादले	चतरा	73	24.1561 उ, 84.7998 पू
6	कोरहांस	कुंडा	121	24.2106 उ, 84.7578 पू
7	दांरू	कुंडा	94	24.1978 उ, 84.7213 पू
8	बरवा(बरमा)	कुंडा	83	24.1893 उ, 84.6597 पू
9	बंदीअदीह	कुंडा	146	24.1929 उ, 84.7401 पू
10	कमल	कुंडा	74	24.1927 उ, 84.6859 पू
11	अमउना	कुंडा	97	24.1781 उ, 84.6676 पू
12	कसीलाउंग	कुंडा	67	24.1723 उ, 84.6478 पू
13	बोदहादीह	कुंडा	195	24.1677 उ, 84.6606 पू
14	बीशनपुर	कुंडा	7	24.1673 उ, 84.6403 पू
15	खापीया	कुंडा	56	24.1588 उ, 84.6222 पू
16	बेसरा	कुंडा	142	24.1807 उ, 84.6563 पू
17	पींजा	कुंडा	62	24.1759 उ, 84.7101 पू
18	सिदकी	कुंडा	5	24.1789 उ, 84.6763 पू
19	चाया	कुंडा	83	24.1631 उ, 84.6963 पू
20	मदरपुर	कुंडा	93	24.1691 उ, 84.6259 पू
21	भउरा	कुंडा	95	24.1615 उ, 84.6773 पू
22	नवादीह	कुंडा	130	24.1519 उ, 84.6445 पू
23	मेघरानीया	कुंडा	14	24.1600 उ, 84.6109 पू
24	बजरानी	कुंडा	16	24.1613 उ, 84.6469 पू
25	लवालौंग	कुंडा	67	24.1516 उ, 84.6592 पू
26	बरीअतु	कुंडा	69	24.1431 उ, 84.6182 पू
27	हिसातु	कुंडा	43	24.1355 उ, 84.6364 पू
28	पोतम्दाहर	कुंडा	60	24.1411 उ, 84.6023 पू
29	जोबिया	कुंडा	53	24.1233 उ, 84.6131 पू

30	कुतील	कुंडा	111	24.1195 उ, 84.5887 पू
31	मरगरहा	कुंडा	147	24.1002 उ, 84.6070 पू
32	दुरगी	कुंडा	34	24.1039 उ, 84.5692 पू
33	गेंदरा	कुंडा	124	24.0874 उ, 84.5713 पू
34	तीथील्बरगांव	कुंडा	113	24.0788 उ, 84.5815 पू
35	हेरांहोपा	लावालौंग	0	24.0323 उ, 84.7345 पू
36	बंदरू	लावालौंग	112	24.1356 उ, 84.7911 पू
37	राजहादीह(अकोना)	लावालौंग	5	24.1311 उ, 84.8194 पू
38	खांगरा	लावालौंग	37	24.1189 उ, 84.7825 पू
39	रतनागांव(भुरकुवाटांड़)	लावालौंग	0	24.1145 उ, 84.8142 पू
40	तुंगुं	लावालौंग	107	24.1059 उ, 84.7830 पू
41	अंगारा(कांदरा)	लावालौंग	44	24.1051 उ, 84.8058 पू
42	करमा	लावालौंग	167	24.0954 उ, 84.8134 पू
43	बंचातरा	लावालौंग	29	24.0856 उ, 84.8148 पू
44	चंदनपुर	लावालौंग	1	24.1042 उ, 84.8295 पू
45	माली	लावालौंग	45	24.0953 उ, 84.7951 पू
46	शिवराजपुर	लावालौंग	202	24.0919 उ, 84.8319 पू
47	चतरा	लावालौंग	8	24.0961 उ, 84.8268 पू
48	चंदाददीह	लावालौंग	0	24.0749 उ, 84.8294 पू
49	लचहर	लावालौंग	41	24.0616 उ, 84.8302 पू
50	कटीया	लावालौंग	216	24.0774 उ, 84.7897 पू
51	पोटम	लावालौंग	211	24.0678उ, 84.8064 पू
52	ओरी	लावालौंग	29	24.0434 उ, 84.8097 पू
53	जोजभरी	लावालौंग	76	24.0492 उ, 84.7994 पू
54	कोंची	लावालौंग	215	24.0297 उ, 84.7725 पू
55	सोंस	लावालौंग	67	24.0306 उ, 84.8056 पू
56	बहागरा	लावालौंग	52	24.0280 उ, 84.7889 पू
57	सरहाचीया	सिमरिया	30	24.1180 उ, 84.8170 पू
58	बरवादीह	सिमरिया	77	24.1223 उ, 84.8240 पू
59	गोथइ	सिमरिया	178	24.0427 उ, 84.8312 पू
60	हाफुया	सिमरिया	168	24.0287 उ, 84.8280 पू
61	तुंदग	सिमरिया	234	24.0077 उ, 84.8035 पू
62	कुरूमदरी	सिमरिया	103	24.0070 उ, 84.7813 पू
63	इंदवा	बरिअतु	41	24.0030 उ, 84.7014 पू
64	दकदीरी	बरिअतु	84	24.0130 उ, 84.7335 पू
65	बलीभांग	बरिअतु	392	24.9916 उ, 84.7484 पू
66	जोबर	बरिअतु	73	24.9907 उ, 84.6622 पू
67	करमातंर	बरिअतु	14	24.9882 उ, 84.6846 पू
68	सिरिसामध	बरिअतु	71	24.9794 उ, 84.7146 पू

69	मरी	हेरहंज	110	24.9720 उ, 84.6460 पू
70	कटंग	हेरहंज	110	24.9653 उ, 84.6237 पू
71	चतुहाउस	हेरहंज	4	24.9795 उ, 84.6951 पू
72	लचाक	हेरहंज	103	24.9512 उ, 84.5848 पू
73	कचा	हेरहंज	53	24.9672 उ, 84.6700 पू
74	खाइरातंर	हेरहंज	47	24.9580 उ, 84.6814 पू
75	हेरहांज	हेरहंज	320	24.9434 उ, 84.6179 पू
76	तुनुदग	पंकी	94	24.0847 उ, 84.5549 पू
77	गनेशपुर	पंकी	120	24.0831 उ, 84.5453 पू
78	नउदीहा	पंकी	392	24.0855 उ, 84.5339 पू
79	बहेरवातंर	पंकी	38	24.0845 उ, 84.5363 पू
80	बिरतिया	पंकी	5	24.0810 उ, 84.5369 पू
81	बिदरा	पंकी	105	24.0782 उ, 84.5265 पू
82	परिदोनर	पंकी	21	24.0782 उ, 84.5364 पू
83	सिराम	पंकी	137	24.0717 उ, 84.5227 पू
84	पिपरातंर	पंकी	123	24.0708 उ, 84.5422 पू
85	बनियादीह	पंकी	24	24.0825 उ, 84.5411 पू
86	हरखुया	पंकी	150	24.0727 उ, 84.5340 पू
87	तिलरा	पंकी	0	24.0726 उ, 84.5134 पू
88	हेसतु	पंकी	141	24.0612 उ, 84.5602 पू
89	गिरी	पंकी	36	24.0697 उ, 84.5694 पू
90	लोहारसि	पंकी	649	240581 उ, 84.5396 पू
91	पगरकालन	पंकी	0	24.0632 उ, 84.5152 पू
92	गुदीपहारी	पंकी	26	24.0661 उ, 84.5312 पू
93	उदीह	पंकी	108	24.0647 उ, 84.5267 पू
94	उचाहाराखुर्द	पंकी	87	24.0615 उ, 84.5088 पू
95	तिलम्बा	पंकी	10	24.0550 उ, 84.5417 पू
96	पचाम्ब	पंकी	65	24.0664 उ, 84.5210 पू
97	उचाहाराकालान	पंकी	26	24.0574 उ, 84.5055 पू
98	जसपुर	पंकी	118	24.0544 उ, 84.5461 पू
99	बिहारीखाप	पंकी	66	24.0536 उ, 84.5155 पू
100	सरजमतु	पंकी	169	24.0521 उ, 84.5236 पू
101	तितलांगा	पंकी	300	24.0482 उ, 84.5510 पू
102	गरेरिदीह	पंकी	0	24.0507 उ, 84.5184 पू
103	बिदरा	पंकी	127	24.0437 उ, 84.5463 पू
104	लुकुवा	पंकी	159	24.0423 उ, 84.5090 पू
105	अपरमानी	पंकी	193	24.0432 उ, 84.5359 पू
106	कोलवा	पंकी	280	24.0380 उ, 84.5314 पू
107	गरहगांव	पंकी	196	24.0281 उ, 85.188 पू
108	करमा	पंकी	9	24.0494 उ, 84.5075 पू

109	अमबाबार	पंकी	286	24.0404 उ, 84.5175 पू
110	अमबालोरी	पंकी	24	24.0330 उ, 84.5537 पू
111	तेलदीहा	पंकी	18	24.0342 उ, 84.5402 पू
112	बलमुअ	पंकी	207	24.0315 उ, 84.5290 पू
113	बरकादाहा	पंकी	22	24.0242 उ, 84.5268 पू
114	बरोदीरी	पंकी	217	24.0143 उ, 84.5231 पू
115	कोरवातंर	पंकी	11	24.0152 उ, 84.5111 पू
116	हतवार	पंकी	268	24.0080 उ, 84.5379 पू
117	दुअरीका	पंकी	193	24.0020 उ, 84.5526 पू
118	खांखार	पंकी	10	24.0030 उ, 84.5242 पू
119	गोरीहारा	पंकी	108	24.9905 उ, 84.5191 पू
120	रनादाह	पंकी	2	24.9732 उ, 84.5281 पू
121	जोलाहबिघ	पंकी	124	24.9930 उ, 84.5503 पू
122	हेदुम	पंकी	134	24.9880 उ, 84.5366 पू
123	ककरगड़	पंकी	280	24.9755 उ, 84.5701 पू
124	मतनग	पंकी	63	24.9703 उ, 84.5467 पू
125	जसपुर	पंकी	22	24.9763 उ, 84.5211 पू
126	दुमरखार	पंकी	28	24.9561 उ, 84.5661 पू

शामिल किए गए ग्राम:

क्र.सं	ग्राम का नाम	प्रशासन खंड	परिवार	जीपीएस निर्देशांक
1	2	3	4	13
1	छुकरू	लावालौंग	217	24.1654 उ, 84.7272 पू
2	कोलकोल कालान	लावालौंग	293	24.1534 उ, 84.7371 पू
3	हरहद (दिबुतंग टोला)	लावालौंग	70	24.1479 उ, 84.7600 पू
4	बिसहनपुर	लावालौंग	54	24.1392 उ, 84.6764 पू
5	समहे	लावालौंग	71	24.1411 उ, 84.7059 पू
6	कोलकोले खुर्द	लावालौंग	23	24.1365 उ, 84.7359 पू
7	बंवार	लावालौंग	161	24.1219 उ, 84.6599 पू
8	मुंगदीह	लावालौंग	3	24.1270 उ, 84.7538 पू
9	सिरका	लावालौंग	54	24.1201 उ, 84.7229 पू
10	भुसर	लावालौंग	124	24.1133 उ, 84.6887 पू
11	नरायनपुर	लावालौंग	32	24.0988 उ, 84.6347 पू
12	बरहेद	लावालौंग	77	24.1008 उ, 84.7226 पू
13	चानी	लावालौंग	100	24.1002 उ, 84.7433 पू
14	नवादीह	लावालौंग	245	24.0807 उ, 84.6439 पू
15	सिदग	लावालौंग	286	24.0903 उ, 84.6691 पू
16	हाहे	लावालौंग	112	24.0892 उ, 84.6988 पू

17	परमतु	लावालौंग	178	24.0863 उ, 84.7755 पू
18	सोहावान	लावालौंग	47	24.0837 उ, 84.7602 पू
19	तिगदा	लावालौंग	178	24.0713 उ, 84.6081 पू
20	जलमा	लावालौंग	66	24.0793 उ, 84.7251 पू
21	अरतु	लावालौंग	80	24.0701 उ, 84.7762 पू
22	बंदु	लावालौंग	256	24.0671 उ, 84.7582 पू
23	हुतरू	लावालौंग	242	24.0588 उ, 84.7237 पू
24	दगदीरीया अलिअस भुरही	लावालौंग	1	24.0657 उ, 84.6594 पू
25	कंती(मंधानिया)	लावालौंग	335	24.0588 उ, 84.6951 पू
26	बरवादीह	लावालौंग	46	24.0530 उ, 84.6308 पू
27	कलयानपुर	लावालौंग	120	24.0525 उ, 84.7788 पू
28	हेरूम	लावालौंग	392	24.0485 उ, 84.7558 पू
29	मलगो	लावालौंग	72	24.0517 उ, 84.5931 पू
30	तिकुल्ला(मनातु)	लावालौंग	118	24.0497 उ, 84.6943 पू
31	लेरजा	लावालौंग	20	24.0367 उ, 84.6908 पू
32	सुलमा	लावालौंग	110	24.0438 उ, 84.5673 पू
33	सेहदा	लावालौंग	160	24.0422 उ, 84.6545 पू
34	दुन्नो	लावालौंग	36	24.0078 उ, 84.6425 पू
35	पसगम	लावालौंग	106	24.0367 उ, 84.5996 पू
36	गरहे	लावालौंग	103	24.0397 उ, 84.6291 पू
37	जोरदग	लावालौंग	18	24.0302 उ, 84.6446 पू
38	बुलबुल	लावालौंग	28	24.0343 उ, 84.6353 पू
39	हरदीपुर	लावालौंग	7	24.0310 उ, 84.5779 पू
40	नउदीहा	लावालौंग	11	24.0197 उ, 84.6723 पू
41	होसिर	लावालौंग	173	24.0290 उ, 84.6200 पू
42	चनो	लावालौंग	19	24.0671 उ, 84.5650 पू
43	मति मगयादीहा	लावालौंग	129	24.0159 उ, 84.5659 पू
44	नसोदग	लावालौंग	3	24.0064 उ, 84.6237 पू
45	कोतरी	लावालौंग	46	24.0137 उ, 84.6162 पू
46	रिमी	लावालौंग	205	24.0029 उ, 84.5893 पू
47	चरू	लावालौंग	1	24.0063 उ, 84.6297 पू
48	बिसरामपुर अलिस रामपुर	लावालौंग	130	24.0009 उ, 84.5662 पू
49	झरदंग	लावालौंग	64	24.9945 उ, 84.5676 पू
50	बहेरादीह	सिमरिया	6	24.1496 उ, 84.7199 पू
51	लेमोदीह	सिमरिया	31	24.1324 उ, 84.6876 पू
52	मरवा	सिमरिया	101	24.1293 उ, 84.7001 पू
53	लुतु और लुतुआ	सिमरिया	3	24.1158 उ, 84.7615 पू
54	मदनदीह	सिमरिया	137	24.10972 उ, 84.7659 पू
55	हुरदग	सिमरिया	14	24.0987 उ, 84.7576 पू
56	कधे	सिमरिया	43	24.0825 उ, 84.7399 पू

57	तेओना	सिमरिया	45	24.0785 उ, 84.7083 पू
58	भांगिया	सिमरिया	1	24.0717 उ, 84.6737 पू
59	लोवालंग	सिमरिया	413	24.0669 उ, 84.7423 पू
60	झोभि	सिमरिया	49	24.0549 उ, 84.6598 पू
61	कटिया(मचामहुया)	सिमरिया	0	24.0470 उ, 84.6228 पू
62	सिकनी	सिमरिया	135	24.0408 उ, 84.7112 पू
63	लरे	सिमरिया	6	24.0449 उ, 84.6709 पू
64	रिचग	सिमरिया	3	24.0037 उ, 84.6069 पू
		कुल	**987**	
		कुलयोग	**6409**	

उपाबंध-IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2018

S.O.775(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Lawalong Wildlife Sanctuary lies between latitudes $23^0$56' to $24^0$13' North and longitudes $84^0$31' to $84^0$50' East in Chatra District of Jharkhand. The Sanctuary was notified under section 18 of Wildlife (Protection) Act, 1972 by Bihar Govt. vide its notification No. S.O. 49/78/33-F, dated 15.07.1978. It extends over an area of **211.03 sq km** of Reserved Forests.

AND WHEREAS, the Lawalong Wildlife Sanctuary is located in the Deccan Plateau Province of Chotanagpur Plateau (SD) Bio-geographic Zone. The habitat is shared by leopards, wolves, cheetals, wild boars, sloth bears, jackals, porcupines, hyaenas, hares, pangoline, etc. The elephants of Palamu & Chatra are known to move through this sanctuary. The important bird species which can be frequently spotted are serpent eagle, paradise fly-catcher, kingfisher, bee-eater, swift, different types of babbler, black drongo, wood pecker, lapwing, peafowl, pond heron, egret, etc. The forests of the sanctuary also act as corridor for the movement of elephant connecting forests of Palamau, Lawalong and Hazaribag.

AND WHEREAS, Lawalong Wildlife Sanctuary lies in the catchments of Amanat, Chako and Nilanjan river systems. Impotant perennial and seasonal nalas are Dudhmatia nala, Mangardaha nala, Sukni nala, Sonahi nala etc. The forests of this Protected Area (PA) intercept rainfall and help recharge ground water aquifers. The forests also protect rivers and streams against silting by minimizing soil erosion. The protected area is home to diverse types of forests, viz., 5B/C1 - Northern Tropical Dry Peninsular Sal Forest, 5B/C2 Northern Tropical Dry Mixed Deciduous Forest, 5/DS Dry Deciduous Scrub Forest, (5/E2) Boswellia Forest and Dry Bamboo brakes as per Champion and Seth's classification. The forests of this sanctuary are an excellent habitat for significant populations of 11 species of mammals, more than 35 species of birds and 19 species of reptiles.

AND WHEREAS, The most important threats to this PA emanate from the increasing population, low educational levels, poverty and commercial activities detrimental to the conservation of wildlife and other natural resources. Unregulated activities, such as mining, quarrying, etc. not only have a direct adverse impact on the ecology but also cause degradation of neighboring forests, and thus the wildlife habitats. The presence of rocks like quartzite, feldspar, granite, schist, etc add to the pressure of mining.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Lawalong Wildlife Sanctuary as eco-sensitive zone from ecological and environmental point of view;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 5 km around the boundary of Chatra District of Jharkhand as the Lawalong Wildlife Sanctuary, Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –

(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 1.80 kilo meters to 5 kilometres around the Lawalong Wildlife Sanctuary. The area of Eco-sensitive Zone is **570.19 square kilometres**.

(2) The boundary description of Lawalong Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II A-B.** The geo-coordinates of Lawalong Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are given in table **A & B** of **Annexure-III.**

(4) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment,
(ii) Forest and Wildlife,
(iii) Agriculture and Horticulture,
(iv) Revenue,
(v) Urban Development,
(vi) Tourism including eco-tourism,

(vii) Rural Development,
(viii) Irrigation and Flood Control,
(ix) Municipal and Urban Development,
(x) Panchayati Raj, and
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
   (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
   (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
   (iii) Small scale industries not causing pollution;
   (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
   (v) Promoted activities and given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/Eco-Tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Jharkhand State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management**.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular Pollution.-** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Sl. No.	**Activity**	**Remarks**
(1)	(2)	(3)
	Prohibited activities	
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed

		within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills and wood based industries.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
Regulated activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and

		(v) Promoted activities listed in this Notification. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
13.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.

26.	Solid Waste Management /Bio-medical Waste Management	Regulated under applicable laws
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
Promoted activities		
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals	Shall be actively promoted
37.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 (1) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes the first Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco- Sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

1.	The Commissioner, North Chhotanagpur Division, Hazaribag	Chairman;
2.	Representative of State Pollution Control Board	Member;
3.	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
4.	A representative nominated by the Forest & Environment Department of Jharkhand	Member;
5.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
6.	An expert in Ecology and environment to be nominated by the State Government	Member;
7.	The Divisional Forest Officer, Incharge of Lawalong Wildlife Sanctuary	Member Secretary.

6.Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/68/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE LAWALONG WILDLIFE SANCTUARY

North: - North and Northern-West part of Potamdohar, Northern-West part of Meghrania and Khapia, Northern part of Madarpur, Kasilaung, Besra, Amauna, Barwa (Barma) Kamal, Danru, Bandiadih and Korhans and Northern -East part of Lutu Revenue Villages.

East: - Eastern part of Nawadih, Kadle, Bandaru, Rejhdih (Akona), Barwadih, Angara(Kandra), Chandanpur, Shivrajpur, Banchatra, Chandadih, Ichahar and Gothai and Southern and Eastern part of Haphua and Tundag Revenue Villages.

South: - Southern part of Kurumdari, Balubhang, Sirisamadh and Chatuhaus, South and Southern-East part of Khairatanr and Southern part of Katang, Herhanj and Ichak Revenue Villages.

West: - Western part of Dumarkhar, Southern-West part of Mutnag, Western part of Ranadah then after it crosses the Panki river and enter into Western part of Jaspur, Gorihara, Khankhar, Barodiri, Korwatanr, Barkadaha, Garhgaon, Ambabar, Lukuwa, Biharikhap, and Pagarkalan, Western and Northern-West part of Pagar, tilra, Seram, Bidra, Nawdiha, Tunudag, Durgi, Hindidi and Bandarhatoli Revenue Villages.

ANNEXURE- IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF LAWALONG WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE - LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS IN TOI

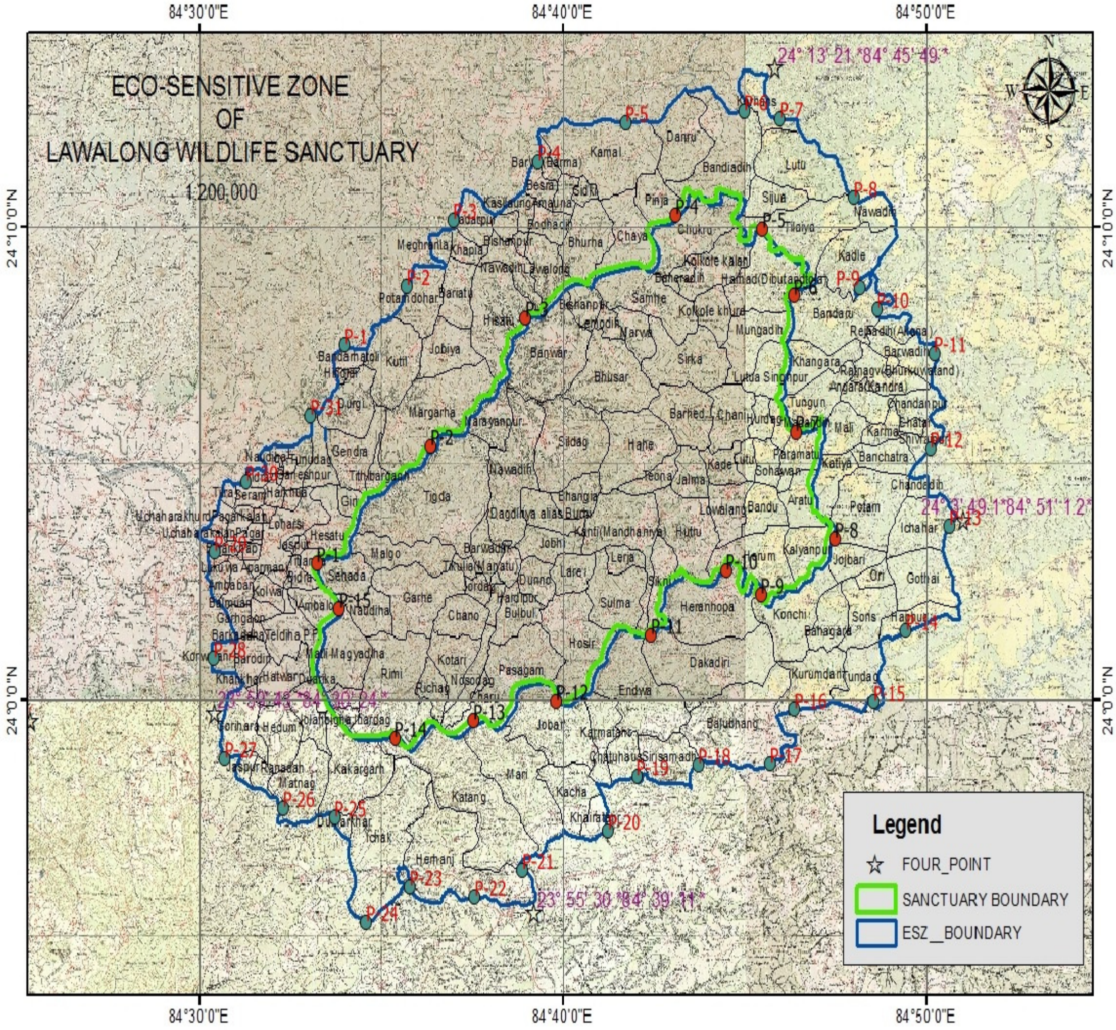

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF LAWALONG WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE - LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

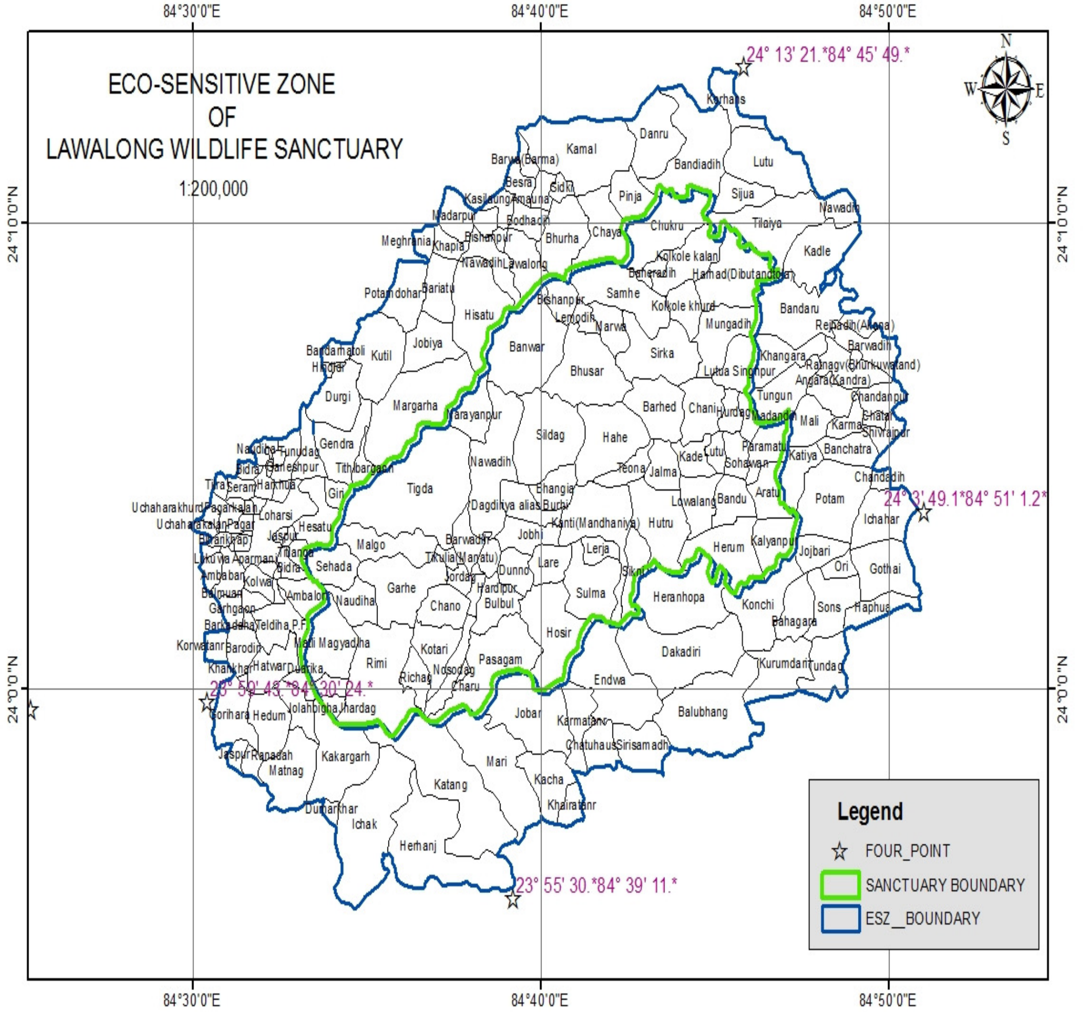

ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Lawalong Wildlife Sanctuary, Jharkhand

Points	Latitude (E)	Longitude(N)
P-1	84°33'12"	24°2'53"
P-2	84°36'20"	24°5'22"
P-3	84°38'57"	24°8'5"
P-4	84°43'5"	24°10'15"
P-5	84°45'29"	24°9'58"
P-6	84°46'21"	24°8'33"
P-7	84°46'24"	24°5'40"
P-8	84°47'29"	24°3'24"
P-9	84°45'26"	24°2'13"
P-10	84°44'28"	24°2'44"
P-11	84°42'25"	24°1'22"
P-12	84°39'48"	23°59'58"
P-13	84°37'31"	23°59'33"
P-14	84°35'21"	23°59'11"
P-15	84°33'49"	23°1'55"

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

Points	Latitude (E)	Longitude(N)
P-1	84º33'58"	24º7'30"
P-2	84º35'41"	24º8'45"
P-3	84º36'58"	24º10'9"
P-4	84º39'17"	24º11'23"
P-5	84º41'42"	24º12'13"
P-6	84º44'59"	24º12'27"
P-7	84º45'58"	24º12'18"
P-8	84º47'60"	24º10'37"
P-9	84º48'10"	24º8'44"
P-10	84º48'38"	24º8'16"
P-11	84º50'13"	24º7'20"
P-12	84º50'7"	23º5'19"
P-13	84º50'38"	23º3'40"
P-14	84º39'26"	23º1'27"
P-15	84º48'32"	23º59'57"
P-16	84º46'22"	23º59'47"
P-17	84º45'41"	23º58'38"
P-18	84º43'43"	23º58'37"
P-19	84º42'1"	23º58'22"
P-20	84º41'14’’`	23º57'13"
P-21	84º38'52"	23º56'23"
P-22	84º37'33"	23º55'49"
P-23	84º35'46"	23º56'2"
P-24	84º34'34"	23º55'17"
P-25	84º33'41"	23º57'30"
P-26	84º32'16"	23º57'42"
P-27	84º30'40"	23º58'45"
P-28	84º30'22"	23º0'52"
P-29	84º30'23"	23º3'7"
P-30	84º31'15"	23º4'36"
P-31	84º33'2"	23º5'60"

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF LAWALONG WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No	Name of Village	Admm. Block	House Hold	GPS Co-ordinates
1	2	3	4	13
1	Lutu	Chatra	179	24.1884 N, 84.7748 E
2	Nawadih	Chatra	184	24.1716 N, 84.8107 E
3	Sijua	Chatra	22	24.1767 N, 84.7622 E
4	Tilaiya	Chatra	89	24.1662 N, 84.7775 E
5	Kadle	Chatra	73	24.1561 N, 84.7998 E
6	Korhans	Kunda	121	24.2106 N, 84.7578 E
7	Danru	Kunda	94	24.1978 N, 84.7213 E
8	Barwa(Barma)	Kunda	83	24.1893 N, 84.6597 E
9	Bandiadih	Kunda	146	24.1929 N, 84.7401 E
10	Kamal	Kunda	74	24.1927 N, 84.6859 E
11	Amauna	Kunda	97	24.1781 N, 84.6676 E
12	Kasilaung	Kunda	67	24.1723 N, 84.6478 E
13	Bodhadih	Kunda	195	24.1677 N, 84.6606 E
14	Bishanpur	Kunda	7	24.1673 N, 84.6403 E
15	Khapia	Kunda	56	24.1588 N, 84.6222 E
16	Besra	Kunda	142	24.1807 N, 84.6563 E
17	Pinja	Kunda	62	24.1759 N, 84.7101 E
18	Sidki	Kunda	5	24.1789 N, 84.6763 E
19	Chaya	Kunda	83	24.1631 N, 84.6963 E
20	Madarpur	Kunda	93	24.1691 N, 84.6259 E
21	Bhurha	Kunda	95	24.1615 N, 84.6773 E
22	Nawadih	Kunda	130	24.1519 N, 84.6445 E
23	Meghrania	Kunda	14	24.1600 N, 84.6109 E
24	Bajrahi	Kunda	16	24.1613 N, 84.6469 E
25	Lawalong	Kunda	67	24.1516 N, 84.6592 E
26	Bariatu	Kunda	69	24.1431 N, 84.6182 E
27	Hisatu	Kunda	43	24.1355 N, 84.6364 E
28	Potamdohar	Kunda	60	24.1411 N, 84.6023 E
29	Jobiya	Kunda	53	24.1233 N, 84.6131 E
30	Kutil	Kunda	111	24.1195 N, 84.5887 E
31	Margarha	Kunda	147	24.1002 N, 84.6070 E
32	Durgi	Kunda	34	24.1039 N, 84.5692 E
33	Gendra	Kunda	124	24.0874 N, 84.5713 E
34	Tithilbargaon	Kunda	113	24.0788 N, 84.5815 E
35	Heranhopa	Lawalong	0	24.0323 N, 84.7345 E
36	Bandaru	Lawalong	112	24.1356 N, 84.7911 E
37	Rejhadih(Akona)	Lawalong	5	24.1311 N, 84.8194 E
38	Khangara	Lawalong	37	24.1189 N, 84.7825 E
39	Ratnagav(Bhurkuwatand)	Lawalong	0	24.1145 N, 84.8142 E
40	Tungun	Lawalong	107	24.1059 N, 84.7830 E
41	Angara(Kandra)	Lawalong	44	24.1051 N, 84.8058 E
42	Karma	Lawalong	167	24.0954 N, 84.8134 E
43	Banchatra	Lawalong	29	24.0856 N, 84.8148 E
44	Chandanpur	Lawalong	1	24.1042 N, 84.8295 E
45	Mali	Lawalong	45	24.0953 N, 84.7951 E
46	Shivrajpur	Lawalong	202	24.0919 N, 84.8319 E
47	Chatar	Lawalong	8	24.0961 N, 84.8268 E
48	Chandadih	Lawalong	0	24.0749 N, 84.8294 E
49	Ichahar	Lawalong	41	24.0616 N, 84.8302 E
50	Katiya	Lawalong	216	24.0774 N, 84.7897 E
51	Potam	Lawalong	211	24.0678N, 84.8064 E
52	Ori	Lawalong	29	24.0434 N, 84.8097 E

53	Jojbhari	Lawalong	76	24.0492 N, 84.7994 E
54	Konchi	Lawalong	215	24.0297 N, 84.7725 E
55	Sons	Lawalong	67	24.0306 N, 84.8056 E
56	Bahagara	Lawalong	52	24.0280 N, 84.7889 E
57	Sarhachiya	Simaria	30	24.1180 N, 84.8170 E
58	Barwadih	Simaria	77	24.1223 N, 84.8240 E
59	Gothai	Simaria	178	24.0427 N, 84.8312 E
60	Haphua	Simaria	168	24.0287 N, 84.8280 E
61	Tundag	Simaria	234	24.0077 N, 84.8035 E
62	Kurumdari	Simaria	103	24.0070 N, 84.7813 E
63	Endwa	Bariatu	41	24.0030 N, 84.7014 E
64	Dakadiri	Bariatu	84	24.0130 N, 84.7335 E
65	Balibhang	Bariatu	392	24.9916 N, 84.7484 E
66	Jobar	Bariatu	73	24.9907 N, 84.6622 E
67	Karmatanr	Bariatu	14	24.9882 N, 84.6846 E
68	Sirisamadh	Bariatu	71	24.9794 N, 84.7146 E
69	Mari	Herhanj	110	24.9720 N, 84.6460 E
70	Katang	Herhanj	110	24.9653 N, 84.6237 E
71	Chatuhaus	Herhanj	4	24.9795 N, 84.6951 E
72	Ichak	Herhanj	103	24.9512 N, 84.5848 E
73	Kacha	Herhanj	53	24.9672 N, 84.6700 E
74	Khairatanr	Herhanj	47	24.9580 N, 84.6814 E
75	Herhanj	Herhanj	320	24.9434 N, 84.6179 E
76	Tunudag	Panki	94	24.0847 N, 84.5549 E
77	Ganeshpur	Panki	120	24.0831 N, 84.5453 E
78	Naudiha	Panki	392	24.0855 N, 84.5339 E
79	Baherwatanr	Panki	38	24.0845 N, 84.5363 E
80	Birtiya	Panki	5	24.0810 N, 84.5369 E
81	Bidra	Panki	105	24.0782 N, 84.5265 E
82	Paridohar	Panki	21	24.0782 N, 84.5364 E
83	Siram	Panki	137	24.0717 N, 84.5227 E
84	Pipratanr	Panki	123	24.0708 N, 84.5422 E
85	Baniyadih	Panki	24	24.0825 N, 84.5411 E
86	Harkhua	Panki	150	24.0727 N, 84.5340 E
87	Tilra	Panki	0	24.0726 N, 84.5134 E
88	Hesatu	Panki	141	24.0612 N, 84.5602 E
89	Giri	Panki	36	24.0697 N, 84.5694 E
90	Loharsi	Panki	649	240581 N, 84.5396 E
91	Pagarkalan	Panki	0	24.0632 N, 84.5152 E
92	Gudipahari	Panki	26	24.0661 N, 84.5312 E
93	Udih	Panki	108	24.0647 N, 84.5267 E
94	Uchaharakhurd	Panki	87	24.0615 N, 84.5088 E
95	Tilamba	Panki	10	24.0550 N, 84.5417 E
96	Pachamba	Panki	65	24.0664 N, 84.5210 E
97	Uchaharakalan	Panki	26	24.0574 N, 84.5055 E
98	Jaspur	Panki	118	24.0544 N, 84.5461 E
99	Biharikhap	Panki	66	24.0536 N, 84.5155 E
100	Sarjamatu	Panki	169	24.0521 N, 84.5236 E
101	Titlanga	Panki	300	24.0482 N, 84.5510 E
102	Gareriadih	Panki	0	24.0507 N, 84.5184 E
103	Bidra	Panki	127	24.0437 N, 84.5463 E
104	Lukuwa	Panki	159	24.0423 N, 84.5090 E
105	Aparmani	Panki	193	24.0432 N, 84.5359 E
106	Kolwa	Panki	280	24.0380 N, 84.5314 E
107	Garhgaon	Panki	196	24.0281 N, 85.188 E
108	Karma	Panki	9	24.0494 N, 84.5075 E
109	Ambabar	Panki	286	24.0404 N, 84.5175 E
110	Ambalori	Panki	24	24.0330 N, 84.5537 E
111	Teldiha	Panki	18	24.0342 N, 84.5402 E

112	Balmuan	Panki	207	24.0315 N, 84.5290 E
113	Barkadaha	Panki	22	24.0242 N, 84.5268 E
114	Barodiri	Panki	217	24.0143 N, 84.5231 E
115	Korwatanr	Panki	11	24.0152 N, 84.5111 E
116	Hatwar	Panki	268	24.0080 N, 84.5379 E
117	Duarika	Panki	193	24.0020 N, 84.5526 E
118	Khankhar	Panki	10	24.0030 N, 84.5242 E
119	Gorihara	Panki	108	24.9905 N, 84.5191 E
120	Ranadah	Panki	2	24.9732 N, 84.5281 E
121	Jolahbigha	Panki	124	24.9930 N, 84.5503 E
122	Hedum	Panki	134	24.9880 N, 84.5366 E
123	Kakargarh	Panki	280	24.9755 N, 84.5701 E
124	Matnag	Panki	63	24.9703 N, 84.5467 E
125	Jaspur	Panki	22	24.9763 N, 84.5211 E
126	Dumarkhar	Panki	28	24.9561 N, 84.5661 E

Enclave Villages:

Sl. No	Name of Village	Admm. Block	House Hold	GPS Co-ordinates
1	2	3	4	13
1	Chukru	Lawalong	217	24.1654 N, 84.7272 E
2	Kolkole kalan	Lawalong	293	24.1534 N, 84.7371 E
3	Harhad(Dibutand Tola)	Lawalong	70	24.1479 N, 84.7600 E
4	Bishnapur	Lawalong	54	24.1392 N, 84.6764 E
5	Samhe	Lawalong	71	24.1411 N, 84.7059 E
6	Kolkole Khurd	Lawalong	23	24.1365 N, 84.7359 E
7	Banwar	Lawalong	161	24.1219 N, 84.6599 E
8	Mungadih	Lawalong	3	24.1270 N, 84.7538 E
9	Sirka	Lawalong	54	24.1201 N, 84.7229 E
10	Bhusar	Lawalong	124	24.1133 N, 84.6887 E
11	Narayanpur	Lawalong	32	24.0988 N, 84.6347 E
12	Barhed	Lawalong	77	24.1008 N, 84.7226 E
13	Chani	Lawalong	100	24.1002 N, 84.7433 E
14	Nawadih	Lawalong	245	24.0807 N, 84.6439 E
15	Sildag	Lawalong	286	24.0903 N, 84.6691 E
16	Hahe	Lawalong	112	24.0892 N, 84.6988 E
17	Paramatu	Lawalong	178	24.0863 N, 84.7755 E
18	Sohawan	Lawalong	47	24.0837 N, 84.7602 E
19	Tigda	Lawalong	178	24.0713 N, 84.6081 E
20	Jalma	Lawalong	66	24.0793 N, 84.7251 E
21	Aratu	Lawalong	80	24.0701 N, 84.7762 E
22	Bandu	Lawalong	256	24.0671 N, 84.7582 E
23	Hutru	Lawalong	242	24.0588 N, 84.7237 E
24	Dagdiriya alias Burhi	Lawalong	1	24.0657 N, 84.6594 E
25	Kanti(Mandhania)	Lawalong	335	24.0588 N, 84.6951 E
26	Barwadih	Lawalong	46	24.0530 N, 84.6308 E
27	Kalyanpur	Lawalong	120	24.0525 N, 84.7788 E
28	Herum	Lawalong	392	24.0485 N, 84.7558 E
29	Malgo	Lawalong	72	24.0517 N, 84.5931 E
30	Tikulla(Manatu)	Lawalong	118	24.0497 N, 84.6943 E
31	Lerja	Lawalong	20	24.0367 N, 84.6908 E
32	Sulma	Lawalong	110	24.0438 N, 84.5673 E
33	Sehada	Lawalong	160	24.0422 N, 84.6545 E
34	Dunno	Lawalong	36	24.0078 N, 84.6425 E
35	Pasagam	Lawalong	106	24.0367 N, 84.5996 E
36	Garhe	Lawalong	103	24.0397 N, 84.6291 E
37	Jordag	Lawalong	18	24.0302 N, 84.6446 E

38	Bulbul	Lawalong	28	24.0343 N, 84.6353 E
39	Hardipur	Lawalong	7	24.0310 N, 84.5779 E
40	Naudiha	Lawalong	11	24.0197 N, 84.6723 E
41	Hosir	Lawalong	173	24.0290 N, 84.6200 E
42	Chano	Lawalong	19	24.0671 N, 84.5650 E
43	Matil Magyadiha	Lawalong	129	24.0159 N, 84.5659 E
44	Nasodag	Lawalong	3	24.0064 N, 84.6237 E
45	Kotari	Lawalong	46	24.0137 N, 84.6162 E
46	Rimi	Lawalong	205	24.0029 N, 84.5893 E
47	Charu	Lawalong	1	24.0063 N, 84.6297 E
48	Bisrampur alias Rampur	Lawalong	130	24.0009 N, 84.5662 E
49	Jhardag	Lawalong	64	24.9945 N, 84.5676 E
50	Baheradih	Simaria	6	24.1496 N, 84.7199 E
51	Lemodih	Simaria	31	24.1324 N, 84.6876 E
52	Marwa	Simaria	101	24.1293 N, 84.7001 E
53	Lutu or Lutua	Simaria	3	24.1158 N, 84.7615 E
54	Madandih	Simaria	137	24.10972 N, 84.7659 E
55	Hurdag	Simaria	14	24.0987 N, 84.7576 E
56	Kadhe	Simaria	43	24.0825 N, 84.7399 E
57	Teona	Simaria	45	24.0785 N, 84.7083 E
58	Bhangia	Simaria	1	24.0717 N, 84.6737 E
59	Lowalang	Simaria	413	24.0669 N, 84.7423 E
60	Jobhi	Simaria	49	24.0549 N, 84.6598 E
61	Katia(Machamahua)	Simaria	0	24.0470 N, 84.6228 E
62	Sikni	Simaria	135	24.0408 N, 84.7112 E
63	Lare	Simaria	6	24.0449 N, 84.6709 E
64	Richag	Simaria	3	24.0037 N, 84.6069 E
		Total	**987**	
		G. Total	**6409**	

Annexure –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.03.03 14:30:03 +05'30'